न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 12/2019 Gcms No. 2019/00290
दायरा तिथि : 2901.2019
प्राथमिक डिक्री दिनांक: 06.03.2019 फाईनल डिक्री दिनांक 01-09-2021

वादी :–
भगा पुत्र सदाजी जाति माली
निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. लच्छा पुत्र सदाजी जाति माली
निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–
1. श्री ओमदवे — अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री जोगेन्द्रसिंह चौहान — अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से
3. नायब तहसीलदार.................. — पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 01-09-2021

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर सरहद मौजा चामुण्डेरी राणावतान स्थित भूमि खसरा नंबर 2576 रकबा 0.8700 हैक्टर, खसरा नंबर 2582 रकबा 0.7500 हैक्टर, खसरा नंबर 2585 रकबा 0.6000 हैक्टर कुल खसरा–03 जुमले रकबा 2.2200 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व जात अव्वल लगान 74.61 रूपये वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि होने से रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन कर प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट में आई भूमि में दखलन्दाजी नही करे इस हेतू एक दूसरे के विपरित धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की मांग की गई। अपने वाद पत्र के समर्थन में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रति पेश की।

प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं–01 की और से वकील श्री जोगेन्द्रसिंह चौहान ने ईकबालिया जबावदावा पेश कर प्रकरण में बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या–02 तहसीलदार, बाली प्रकरण में फोरमल पक्षकार होने से जबाव प्रस्तुत नहीं करने न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2019 को प्रतिवादी संख्या–02 तहसीलदार, बाली का जबाव अवसर बंद किया गया व प्रकरण को बहस के लिये रखा गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् दिनांक 06.03.2019 को प्रकरण में वर्णित भूमि के संबध में रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार पक्षकारो के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई।

प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक/ भू.अ. /2021/ 1416 दिनांक 12.08.2021 से निम्नानुसार पक्षकारो के हिस्से बंट में भूमि रखते हुये विभाजन रिपोर्ट पेश की गई:–

क्रसं0	नाम खातेदार	विवरण भूमि				नजरी नक्शा में दर्शित रंग
		खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	
01	भगा पुत्र सदा जाति माली सा.देह खातेदार	2585	0.3000	चा..प्रा. 0.28 जा.अ. 0.02	10.64 0.26	गहरा हरा
		2582	0.3750	चा.प्र. 0.2950 जा.अ.0.0800	11.21 1.04	
		2576	0.4100	चा.प्र. 0.3300 जा.अ. 0.08	12.54 1.0400	
		03	1.0850	–	36.73	

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 12/2019 Gcms No. 2019/00290

अनवान भगाराम बनाम लच्छा वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्रंसं0	नाम खातेदार	विवरण भूमि				नजरी नक्शा में दर्शित रंग
		खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	
02	लच्छा पुत्र सदा जाति माली सा.देह खातेदार	2585/1	0.3000	चा..प्रा. 0.28	10.64	गहरा हरा
				जा.अ. 0.02	0.26	
		2582/1	0.3750	चा.प्र. 0.2950	11.21	
				जा.अ.0.0800	1.04	
		2576/1	0.4100	चा.प्र. 0.3300	12.54	
				जा.अ.0.0800	1.0400	
		03	**1.0850**	–	**36.73**	
03	शामलाती खाता– भगा पुत्र सदा 1/2 लच्छा पुत्र सदा 1/2 जाति माली सा.देह खातेदार	2576/2	0.0500	च.प्रा. 0.02	0.76	पीला रंग
				ज.अ. 0.03	0.39	
		01	**0.05**	–	**1.1500**	

तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। दोनो पक्षो के वकुलाय में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ग्राम चामुण्डेरी राणावतान स्थित भूमि खसरा नंबर 2576 रकबा 0.8700 हैक्टर, खसरा नंबर 2582 रकबा 0.7500 हैक्टर, खसरा नंबर 2585 रकबा 0.6000 हैक्टर कुल खसरा–03 जुमले रकबा 2.2200 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व जाव अव्वल लगान 74.61 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

क्रंसं0	नाम खातेदार	विवरण भूमि				नजरी नक्शा में दर्शित रंग
		खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	
01	भगा पुत्र सदा जाति माली सा.देह खातेदार	2585	0.3000	चा..प्रा. 0.28	10.64	गहरा हरा
				जा.अ. 0.02	0.26	
		2582	0.3750	चा.प्र. 0.2950	11.21	
				जा.अ.0.0800	1.04	
		2576	0.4100	चा.प्र. 0.3300	12.54	
				जा.अ. 0.08	1.0400	
		03	**1.0850**	–	**36.73**	
02	लच्छा पुत्र सदा जाति माली सा.देह खातेदार	2585/1	0.3000	चा..प्रा. 0.28	10.64	गहरा हरा
				जा.अ. 0.02	0.26	
		2582/1	0.3750	चा.प्र. 0.2950	11.21	
				जा.अ.0.0800	1.04	
		2576/1	0.4100	चा.प्र. 0.3300	12.54	
				जा.अ.0.0800	1.0400	
		03	**1.0850**	–	**36.73**	
03	**शामलाती खाता–** भगा पुत्र सदा 1/2 लच्छा पुत्र सदा 1/2 जाति माली सा.देह खातेदार	2576/2	0.0500	च.प्रा. 0.02	0.76	पीला रंग
				ज.अ. 0.03	0.39	
		01	**0.05**	–	**1.1500**	

पेज लगातार............03

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 12/2019 Gcms No. 2019/00290
अनवान भगाराम बनाम लच्छा वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 74.61 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली पटवारी हल्का चामुण्डेरी राणावत को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 1-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner